स्पीड पोस्ट
एवं ई–मेल

SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. KC/8/2019/STGCG/DEOTH/RU-III दिनांक: 25--10—2019

सिटिंग नोटिस

विषयः झुठे केस में फंसाने के संबंध में श्री केशव चौहान, भुटगाँव, तहसील व थाना – फरसाबहार, जिला – जशपुर, (छत्तीसगढ़) का दिनांक 18–10–2019 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 13.11.2019 को 03.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों / दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. **कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

70 8074-75
25/10/19

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ शासन,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर,
छत्तीसगढ़ – 492001

जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि प्रषितः

श्री केशव चौहान,
भुटगाँव, तहसील व थाना – फरसाबहार,
जिला – जशपुर,
(छत्तीसगढ़)